7

वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा

प्रभाकर कुमार*

"शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं, लेकिन फल बहुत ही मीठा है।" (अरस्तु)

शिक्षा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव को मानव और अन्य पशु-पक्षियों से अलग पहचान बनाने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज मानव ने जो भी विकास किया है, उन सबके पीछे शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस शिक्षा की नींव के रूप में प्राथमिक शिक्षा को देखा जा सकता है क्योंकि मानव की शिक्षा की शुरुआत भी प्राथमिक शिक्षा से ही होती है। इसलिए किसी भी देश के लिए प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाना उसका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। भारत में इसके लिए किस प्रकार की कोशिश की जा रही है। प्रस्तुत आलेख में इन्हीं प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई है।

किसी भी माता-पिता का पहला कर्तव्य अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना होता है। बच्चे में शिक्षा की शुरुआत तो सबसे पहले उसके परिवार से होती है, उसके बाद जब बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, तब उसकी अकादमिक शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है। इस क्रम में वह सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा से अपनी शिक्षा की शुरुआत करता है, जो लगातर चलती रहती है। इसलिए प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से उसकी भविष्य की शुरुआत होती है और जितना बेहतर ढंग से उसकी प्राथमिक शिक्षा होगी उतना ही उसके भविष्य में आगे बढ़ने की संभावनाएँ मिलेगी अन्यथा आगे की शिक्षा उसके लिए और कठिन होती चली जाएगी। इसलिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षक-शिक्षा दोनों का बेहतर होना ज़रूरी है, तभी तो 'जॉन डीवी' ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है और इस त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत— शिक्षक, पाठयक्रम तथा बालक को स्थान दिया गया है। शिक्षक-शिक्षा पर बात करने से पहले भारत में प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत कब और किस प्रकार हुई इस पर बात करना आवश्यक होगा। भारत में प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा के विकास को स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात दो भागों में बाँटकर निम्न बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं—

स्वतंत्रता पूर्व भारत में प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा का विकास—

1. वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा परिवारों में होती थी।
2. बौध्य काल में प्राथमिक शिक्षा मठों एवं विहारों में होती थी।

*शोधार्थी, हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना 500 046

3. मुगलकाल से पूर्व प्राथमिक शिक्षा मकतबों में होती थी।
4. ईसाई मिशनरी काल से भारत में आधुनिक प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि इस काल में ही गोवा, कोचीन, बान्द्रा में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा का विकास

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए कई आवश्यक कदम उठाए गए जो इस प्रकार से हैं—

1. संविधान की धारा 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के नि:शुल्क शिक्षा की बात की गई। (वर्तमान में इसे 18 वर्ष तक कर दिया गया है।)
2. सन 1957 में 'अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद' का गठन किया गया। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और उन्नयन से संबंधित सुझाव देना था।
3. सन 1966 में कोठारी आयोग का गठन किया गया, जिसमें प्राथमिक स्तर पर हो रहे अपव्यय और अवरोधन को रोकने का सुझाव दिया गया।
4. सन 1979 में 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए 'निरौपचारिक शिक्षा' की शुरुआत की गई।
5. सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा को केंद्र में रखकर 1987-1988 में 'ब्लैक बोर्ड योजना' शुरू की गई।
6. सन 2001 में 'सर्व शिक्षा अभियान' शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना था।
7. सन 2009 में 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' पास किया गया। जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने की बात की गई थी।
8. सन 2020 की 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' में शिक्षा संरचना में बदलाव करते हुए। 10+2+3 के स्थान पर अब 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था की बात की गई। इसके अलावा 8 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए एन.सी.पी.एफ.ई.सी.सी.ई. विकसित करने की बात की गई।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में स्वतंत्रता पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अलग-अलग व्यवस्था थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बाद भी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में अलग-अलग संरचना देखने को मिलती है। इन सबके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा के विकास के लिए लगातार प्रयास किए गए। लेकिन फिर भी उस तरह की सुधार देखने को नहीं मिला, जिस प्रकार की सुधार की उम्मीद की गई थी। वर्तमान की बात करें, तो पाते हैं कि आज देश के 14.5 लाख प्राथमिक विद्यालयों में 19.67 करोड़ बच्चे दाखिल हैं। वहीं लगभग 5 करोड़ बच्चें अभी भी इस सुविधा से वंचित हैं। आज देश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में मात्रात्मक सुधार काफ़ी देखने को मिलती है, लेकिन गुणात्मक सुधार की बात करें तो, पाते हैं कि उसमें उस तरह के अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिल पा रहे है जिस प्रकार होना चाहिए था। इसके कई कारण हैं, जो निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से दिखाया गया है—

1. शिक्षा पर बजट का कम हिस्सा व्यय होना।
2. पुरानी शिक्षण-पद्धति का बोलबाला होना।
3. शिक्षा नीति या अधिनियम का कड़ाई से पालन न होना।

4. विद्यालय में शिक्षकों की कमी।
5. देश में निर्धनता का अधिक होना।
6. विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी होना।
7. प्राथमिक शिक्षा का बोझिल पाठ्यचर्या होना।
8. परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली का ठीक न होना।
9. शिक्षकों में नवाचार करने का उत्साह न होने के कारण ज़्यादातर शिक्षक पुरानी शिक्षण-पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं।
10. विद्यार्थियों के घर से विद्यालयों की दूरी अधिक होना।
11. अभिभावकों का अपने बच्चों की शिक्षा-प्रति सचेत न होना।
12. देश में अधिक जनसंख्या होना। अधिक जनसंख्या होने के कारण सुविधाएँ ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं।
13. जनसहयोग की कमी।

इन सब के कारण ही प्राथमिक शिक्षा में अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। इन समस्याओं के समाधान के लिए जो आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। वह इस प्रकार से हो सकती है—

1. शिक्षा पर बजट को बढ़ाकर विकास किया जा सकता है।
2. शिक्षण-विधि में बदलाव करके, जैसे— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुभवात्मक अधिगम शिक्षणशास्त्र इस विधि का प्रयोग करके शिक्षण को रोचक और उपयोगी बना सकते हैं।
3. परीक्षा प्रणाली में सुधार करके, जिसकी वकालत रा.शै.अ.प्र.प. की आधार-पत्र परीक्षा प्रणाली में सुधार में किया गया है, क्योंकि जब तक परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण रहेगी तब तक हम शिक्षा में विकास नहीं कर सकते हैं, इसलिए आवश्यक है कि इसमें सुधार किया जाए।
4. वर्तमान समय में जो विद्यार्थियों की मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है, उसमें काफी बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि मूल्यांकन जब ठीक ढंग से नहीं होगा तो शिक्षा का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो पाएगा।
5. प्राथमिक शिक्षा से संबंधित शोध को भी बढ़ाना होगा। किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा को और बेहतर बनाया जाए और किस प्रकार के बदलाव करने की आवश्यकता है तथा उनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। इन सभी बिंदुओं को लेकर शोध करने की आवश्यकता है।
6. सरकारी शिक्षा नीतियों और नियमों को पालन करने संबंधी कठोरता को सख्त बनाकर, क्योंकि ज़्यादातर राज्य की सरकारें, केंद्र द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति या नियमों का पालन नहीं करती हैं जिसके कारण भी शिक्षा नीति हो या पाठ्यचर्या या कोई और नियम वह पूर्ण रूपेण लागू नहीं हो पाती है एवं वह सफल नहीं हो पाती है। (उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देख सकते हैं जिसे अभी तक कुछ राज्यों ने अपने यहाँ लागू नहीं किया है।)
7. शिक्षकों को नवाचार से अवगत कराना होगा और शिक्षकों को स्वयं अपने शिक्षण तथा अन्य क्षेत्रों में बदलाव करने संबंधी बातों को सोचना होगा। क्योंकि नीति या पाठ्यचर्या तभी सफल होगी जब शिक्षक उसको उसी अनुसार पढ़ाएँगे, लेकिन वर्तमान समय में ज़्यादातर शिक्षक अभी भी अपनी शिक्षण के दौरान व्याख्यान विधि का

ही प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में आवश्यकता है कि शिक्षक नई शिक्षण पद्धति से शिक्षण कार्य करें और जो अक्षमता वालें विद्यार्थीयों हैं उनको किस विधि और किस तरह से पढ़ाना चाहिए, इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरफ़ अभी भी ज़्यादातर शिक्षकों का ध्यान नहीं गया है और अधिगम अक्षमता के विभिन्न प्रकार से पीड़ित विद्यार्थियों के लिए भी था, प्रथम और द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए भी एक ही पद्धति का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है जो इस प्रकार से हैं—

- दृष्टि विकार वाले विद्यार्थियों को कक्षा में आगे सीट पर बैठाना चाहिए , श्रव्य (ऑडियो बुक्स) का उपयोग करना चाहिए।
- श्रवण विकार वाले विद्यार्थियों के लिए अन्य इंद्रियों से सीखने के माध्यम के रूप में उपयोग करना, हियरिंग एड, लूप सिस्टम आदि का उपयोग करना चाहिए।
- शारीरिक अक्षमता वाले विद्यार्थियों की शिक्षण के लिए ऑडियो रिकॉर्डर, हाव-भावों का प्रयोग करना, कक्षाओं को सुलभ बनाना चाहिए।
- संज्ञानात्मक अक्षमता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए— 'भाषा' की कक्षा में लंबे अध्यायों को छोटे-छोटे भागों में बाँटकर पढ़ाना तथा कविताएँ हाव-भाव तथा गाकर, नए शब्दों को चित्र शब्दकोश द्वारा बताया जा सकता है।
- समावेशी कक्षा में मूल्यांकन के लिए फ्लैशबैक, शब्द कार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लंबे प्रश्न को छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके पूछा जा सकता है।
- द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जा सकता है।
- भाषा पढ़ाते समय शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए और मातृभाषा तथा द्वितीय भाषा के विद्यार्थियों के लिए क्या-क्या तरीके होने चाहिए। इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
- भाषा से संबंधित अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। वर्तमान समय में ज़्यादातर साहित्य केंद्रित शोध हो रहे हैं भाषा को लेकर बहुत कम शोध हो रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि इसमें बढ़ोतरी की जाए।
- शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी ज़्यादातर शिक्षकों को (विशेष रूप से भाषा शिक्षकों को-तकनीकी का प्रयोग करना नहीं आता है और इससे वो बचना चाहते हैं।) तकनीकी का प्रयोग कैसे और किस प्रकार किया जा सकता है। उसमें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा दोनों कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उसमें अभी भी बहुत कुछ समाधान की आवश्यकता हैं और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं तब तक हम इस क्षेत्र में अपेक्षित सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नीति या पाठ्यचर्या बनाने से सुधार नहीं होगी। नीति हो या पाठ्यचर्या तभी सफल होगी जब उसके अनुसार शिक्षिकों को पढ़ाने के तरीके मालूम हो, नहीं तो जिस प्रकार से आज तक नीतियाँ हो या पाठ्यचर्या सफल नहीं हो पाई उसी तरीके से आगे भी सफल नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम सब को मिलकर कार्य करना होगा, क्योंकि जब

तक शिक्षक हो या शिक्षार्थी या शोधार्थी इस क्षेत्र में अपनी भूमिका नहीं निभाएँगे तब तक सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती हैं, इसलिए शिक्षक-शिक्षार्थी-शोधार्थी सबको मिलकर काम करना होगा और किस प्रकार अपने देश की प्राथमिक शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता है। इस प्रकार की सोच लेकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे।

निष्कर्ष

हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारत में प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा में सुधार और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में काफ़ी सुधार और बदलाव की आवश्यकता है, जिसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। यह तभी सफल होगा जब हम सब अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। यहाँ हम से तात्पर्य 'सरकार-शिक्षक-शिक्षार्थी-शोधार्थी-अभिभावक' इन सबको मिलकर कार्य करना होगा और अपने देश की प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। तभी हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 21वीं सदी की शिक्षा के अनुसार है। उसको सफल बना सकते हैं और देश की प्राथिमक शिक्षक-शिक्षा में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं।

संदर्भ

लाल, रमन बिहारी और कृष्ण कांत शर्मा. *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं*. पृ.सं. 353–354. आर. लाल बुक डिपो, मेरठ.

रा.शै.अ.प्र.प. 2017. *विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन—प्राथमिक स्तर*. प्रथम संस्करण-मई 2017. पृ.सं. 26–27, 57, 74–75, 85, 108. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

_____. 2018. *भाषा-शिक्षण हिंदी (भाग 1)*. प्रथम संस्करण-मई 2018. पृ.सं. 96–97. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

रुहेला, डॉ. सत्यपाल. 2012. *भारतीय शिक्षा का समाजशास्त्र*. संस्करण आठवाँ. पृ.सं. 74–75, 111. राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. पृ.सं. 8–9, 73. भारत सरकार, नई दिल्ली.